झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में लिफ्टों और एस्केलेटरों तथा उनसे संबद्ध सभी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रखरखाव तथा निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक विधेयक ।

यह भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1) यह अधिनियम झारखण्ड लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2017 कहलायेगा।

2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

3) यह सरकार द्वारा राजपत्र में निर्गत अधिसूचना में यथा नियत तारीख से प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएँ:- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक इस अधिनियम में:-

क) "स्वचालित बचाव प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली जिसमें यदि भवन में बिजली चली जाती है तो लिफ्ट अपने निकटतम सतह पर रूक कर खुल जायेगा;

ख) "एस्केलेटर" से अभिप्रेत है सवारियों को ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए बिजली पर निरंतर चलने वाली सीढ़ी;

ग) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;

घ) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम,2003 (केन्द्रीय अधिनियम 36,2003) की धारा-162 की उपधारा-(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह विद्युत निरीक्षक, जिसकी अधिकारिता में वह लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन स्थल आता है;

ड0) "लिफ्ट" से अभिप्रेत है, बिजली से चलने वाली ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए पिंजरानुमा यंत्र प्रणाली, वास्तव में जिसका उपयोग सवारी या माल या दोंनों को ढोने के लिए किया जाता है;

च) "लिफ्ट पिंजरा" से अभिप्रेत है लिफ्ट का कार या पिंजरा जिसका उपयोग सवारी या माल या दोनों के परिवहन के लिए किया जाता है;

छ) "लिफ्ट अधिष्ठापन" में शामिल है लिफ्ट पिंजरा, लिफ्ट मार्ग, लिफ्ट मार्ग का घेरा एवं लिफ्ट परिचालन की यांत्रिक प्रणाली तथा रज्जु, केबल, तार, सुरक्षा उपबंध तथा लिफ्ट परिचालन से संबंधित यंत्र एवं मशीनरी;

ज) "लिफ्ट मार्ग" से अभिप्रेत है, धूरा या हविश जिसमें लिफ्ट पिंजरा आता जाता है ।

झ) "लिफ्ट मार्ग घेरा" में शामिल है लिफ्ट मार्ग के चारों ओर या बंद करने के लिए वास्तविक संरचना;

ञ) "मालिक" से अभिप्रेत हैं सोसाईटी या संगम या संपूर्ण परिसर या उसके किसी भाग के मालिक या अधिभोगी या अभिधारी जिसने निबंधन के लिए आवेदन किया है;

ट) "सवारी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो अपने परिवहन के प्रयोजनार्थ लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करता है;

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ लिफ्ट प्रचालक भी सवारी माना जायेगा।

ठ) "बिजली" में विद्युत, जल विद्युत, पवन विद्युत या यांत्रिकी विद्युत आदि अथवा इनका कोई संयोजन शामिल है;

ड) "परिसर" से अभिप्रेत है, कोई संरचना चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी और जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किया गया है;

ढ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

ण) "निबंधन" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन निरीक्षक द्वारा लिफ्ट या एस्केलेटर की संख्या नियत करना;

त) "धारा" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा;

थ) "राज्य" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ;

3. पदाधिकारियों और पदधारियों की नियुक्ति:-

1) सरकार द्वारा सौंपे गये कृत्यों के निष्पादनार्थ या इस अधिनियम के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक मुख्य विद्युत निरीक्षक और यथा आवश्यक निरीक्षकों, अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों की नियुक्ति करेगी, जो यथा विहित अर्हता रखते हों;

2) मुख्य विद्युत निरीक्षक राज्य के निरीक्षकों और अन्य पदाधिकारियों एवं पदधारियों पर आम अधिक्षण एवं नियंत्रण रखेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक निदेश निर्गत करेगा;

4. निबंधन

1) लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के पश्चात उसका मालिक एक माह के भीतर ऐसी लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन हेतु यथा विहित शुल्क के साथ विहित फारम में आवेदन करेगा। शुल्क अप्रतिदेय होगा;

2) सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षक 30 दिनों के भीतर लिफ्ट या एस्केलेटर की संख्या नीयत करते हुए इन्हें निबंधित करेगा;

3) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन हेतु किसी लिफ्ट या एस्केलेटर रख-रखाव कम्पनी द्वारा की गई संविदा या व्यवस्था को प्रमाण स्वरूप देते हुए लिफ्ट या एस्केलेटर

के वार्षिक रख-रखाव की संविदा या की गई कोई अन्य व्यवस्था की प्रति प्रत्येक वर्ष निरीक्षक को देगा।

4) लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रत्येक मालिक लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्बाध एवं निरापद संचालन के लिए यथा विहित फारम में एवं रीति से सभी वार्षिक सुरक्षा प्रमाण पत्र देगा;

5. स्वचालित बचाव प्रणाली:-

बिजली चली जाने की दशा में लिफ्ट में फंसे सवारियों को बचाने हेतु उसका मालिक स्वचालित बचाव प्रणाली की व्यवस्था करेगा, जिसमें लिफ्ट अपने निकटतम सतह पर आकर रूकेगा तथा उसका दरवाजा खुल जायेगा।

6. वैकल्पिक बिजली आपूर्ति प्रणाली:-

बिजली चली जाने की दशा में लिफ्ट का कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए मालिक 30 सेकेंड के भीतर वैकल्पिक स्वचालित बिजली आपूर्ति प्रणाली की व्यवस्था करेगा।

7. निरीक्षण:-

निरीक्षक या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी या अभिकरण द्वारा निबंधित प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर का निरीक्षण तीन वर्षों में एक बार किया जायेगा। ऐसे निरीक्षण के लिए किसी अन्य विद्युत अधिष्ठापन जाँच शुल्क के अतिरिक्त विहित शुल्क लिया जायेगा।

8. व्यवहार संहिता:-

1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रयजनों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत व्यवहार संहिता, यदि कोई हो का पालन किया जायेगा, (जिसमें राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता भी शामिल है) तथा कोई असंगति पायी जाने की दशा में इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध अभिभावी होगा;

2) प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरण संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश से संपूष्ट होंगे, जहाँ ऐसे विनिर्देश पहले ही अधिकथित हैं;

3) परिसरों में अधिष्ठापित किये जाने वाले लिफ्टों या एस्केलेटरों की संख्या और उनके बीच की परस्पर दूरी भारतीय मानक ब्यूरो एवं राष्ट्रीय भवन संहिता की सुसंगत व्यवहार संहिता से शासित होंगे;

9. विद्यमान लिफ्टों या एस्केलेटरों का निबंधन:-

1) धारा-4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा प्रत्येक मालिक जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारिख से पुर्व परिसरों में लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन किया है वह इसके प्रभावी होने के दो माह की अवधि के भीतर ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के निबंधन के लिए आवेदन करेगा;

2) ऐसे आवेदन पर धारा-4 की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के उपबंध लागू होंगे;

10. निरीक्षण के लिए किसी भवन में प्रवेश करने का अधिकार:-

कोई निरीक्षक सभी उपयुक्त समय में सरकारी सेवा में रहने वाले किसी सहायक, यदि कोई हो, के साथ जैसा वह उचित समझे, किसी ऐसे परिसर में जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं अथवा जिनके निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं लिफ्ट या एस्केलेटर या उनके अधिष्ठापन या उनके कार्यस्थल के निरीक्षण के लिए प्रवेश कर सकते है।

11. असुरक्षित अवस्था वाले लिफ्ट या एस्केलेटर:-

धारा-7 के अधीन निरीक्षण करने के उपरांत यदि निरीक्षक यह पाता है कि किसी भवन का कोई लिफ्ट या एस्केलेटर असुरक्षित अवस्था में है, तो वह ऐसे मालिक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे लिफ्टों या एस्केलेटरों की यथा आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन कराने का निदेश दे सकता है अथवा वह उसका उपयोग तब तक रोक सकता है, जबतक कि उसका समाधान न हो जाय कि ऐसी मरम्मत या परिवर्तन करा लिये गये हैं या असुरक्षित अवस्था दूर कर ली गई है।

12. सील करना:-

1) कोई लिफ्ट या एस्केलेटर जिसके संबंध में धारा-11 के अधीन कोई निर्देश निर्गत किया गया है, उसका निरीक्षक के समाधान होने तक पालन नहीं किया गया है, ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर को यदि उसी अवस्था में चलता हुआ पाया जाता है, तो निरीक्षक द्वारा उसे सील करने का आदेश दिया जा सकता है;

2) उपधारा-(1) के अधीन किये गये आदेश के विरूद्ध कोई अपील मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड के पास की जायेगी और उनका निर्णय अंतिम होगा;

13. बीमा:-

ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन पूरा होने के पश्चात मालिक को तृतीय पक्ष बीमा सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा ताकि उसका उपयोग करने वाले सवारियों का जोखिम आच्छादित हो सके।

14. कर्मपुस्ती और प्रतिवेदन:-

1) मालिक प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कर्मपुस्ती संधारित करेगा तथा उसमें परिचालन ठप हो जाना (विद्युत आपूर्ति चली जाने से भिन्न) और दुर्घटना, यदि कोई हो, तो दर्ज करेगा। इस कर्मपुस्ती का निरीक्षण निरीक्षक द्वारा जब और जैसे चाहें किया जा सकता है;

2) जब कभी किसी ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के परिचालन पद्धति में कोई दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है, तो मालिक 24 घंटे के भीतर दुर्घटना का पूरा ब्यौरा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए कार्य करने वाले निरीक्षक को यथा विहित फारम में देगा और निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना इसे पुनः चालु नहीं करेगा;

15. समवर्ती दायित्व:-

ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर के किसी सुरक्षा उपबंध के ठीक से कार्य नहीं करने के चलते दुर्घटना होने की दशा में यथास्थिति, लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन या रख-रखाव कम्पनी पर भी अभियोजन चलाया जा सकता है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन दण्ड का भागी ठहराया जा सकता है।

16. बंद होने की सूचना देना:-

यदि किसी भवन में जहाँ लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किये गये हैं, वह कार्य नहीं करता है तो मालिक द्वारा इसकी सूचना एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को दी जायेगी।

17. जीवन विस्तार:-

परिसरों में अधिष्ठापित लिफ्ट या एस्केलेटर को उसके अधिष्ठापन के बीस वर्षों की अवधि के पश्चात मालिक द्वारा बदल दिया जायेगा। ऐसा बदलाव लिफ्ट या एस्केलेटर के अधिष्ठापन के 21वें वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा तथा मालिक धारा-4 के अधीन नया निबंधन के लिए आवेदन करेगा।

18. शिथिल करने की शक्ति:-

सरकार लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध को ऐसी शर्त के अध्यधीन, जो वह उचित समझे शिथिल कर सकती है।

19. शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत शक्तियों को किसी ऐसे पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

20. शास्ति:-

जो कोई इस अधिनियम या एतदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह दोष सिद्धि होने पर तीन माह तक का कारावास या पचास हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा तथा लगातार उल्लंघन करने पर प्रथम बार ऐसे उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात जारी उल्लंघन के दौरान प्रतिदिन एक हजार रूपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।

21. अपराध का संज्ञान:-

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद के अलावे कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण:-

इस अधिनियम या एतद्धान बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने से

आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेंगी।

23. नियम बनाने की शक्ति:-

1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है;

2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी बात का उपबंध किया जा सकता है:-

क) लिफ्टों या एस्केलेटरों के लिए विनिर्देश;

ख) रीति, जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर की परिनिर्माण योजना प्रस्तुत की जाती है;

ग) रीति, लिफ्टों या एस्केलेटरों की जाँच की जाती है;

घ) लिफ्ट या एस्केलेटर के परिनिर्माण हेतु अनुमति का आवेदन प्रपत्र तथा ऐसे लिफ्ट या एस्केलेटर का कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति;

ड-) धारा-1 की उपधारा-(4) के अधीन भेजे जाने वाले समापन प्रतिवेदन का फारम;

च) शर्तें एवं बंधेज और निर्बंधन और फारम जिनके अध्यधीन लिफ्टों या एस्केलेटरों की अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए भुगतान किये जाने वाले शुल्क;

छ) रीति और बंधेज जिनके अध्यधीन लिफ्ट या एस्केलेटर कार्य करेंगे;

ज) रीति, जिसमें धारा-14(2) के अधीन दुर्घटना की सूचना दी जायेगी;

झ) अपील करने का फारम एवं रीति; और

ञ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जानेवाला हो या विहित किया जा सके;

3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जायेगा, जब वह सत्र में हो, यदि सदन सहमत हो जाता है कि नियम में उपांतरण किया जाय अथवा नियम बनाया ही नहीं जाय, तो नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा तथापि ऐसा उपांतरण या अतिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

24. व्यावृति:-

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या एतद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों पर प्रभावी नहीं होगी।

यह विधेयक झारखण्ड लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2017 दिनांक 11 अगस्त, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 11 अगस्त, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 27--50--18-8-2017